प्रेस विज्ञप्ति

28.02.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने केरल में म्यूल खातों के समूह के माध्यम से अवैध ऑनलाइन ऋण/जुआ/सट्टेबाजी ऐपों के मामले में अपराध की आय का पता लगाने और खुलासा करने हेतु मुंबई, चेन्नई और कोच्चि में मैसर्स एनआईयूएम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और मुंबई स्थित इसके निदेशकों, चेन्नई में मैसर्स एक्सोडुज़ सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स विक्रा ट्रेडिंग एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स टायरानस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स फ्यूचर विज़न मीडिया सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स अप्रीकिवी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड और कोच्चि में राफाल जेम्स रोज़ारियो के परिसरों पर 10 स्थानों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 23-02-2024 और 24/02/2024 को तलाशी अभियान चलाया।

ईडी ने चीनी संस्थाओं द्वारा नियंत्रित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अर्थात ऋण/जुआ/सट्टेबाजी ऐपों के माध्यम से विभिन्न व्यक्तियों द्वारा उनके शोषण/धोखाधड़ी के लिए दी गई शिकायतों पर केरल पुलिस और हरियाणा पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला कि उपरोक्त ऐप्स/अन्य प्लेटफार्मों से उत्पन्न अपराध की आय को भुगतान एग्रीगेटर्स का उपयोग करके केरल राज्य के विभिन्न बैंकों में खोले गए म्यूल खातों के माध्यम से एकत्रित और शोधन किया गया। यह धनराशि चेन्नई, बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई आदि में कई शैल कंपनियों के माध्यम से एकत्र की गई और अंततः सिंगापुर से सॉफ़्टवेयर के नकली आयात, विदेशी मुद्रा खरीद इत्यादि के नाम पर क्रिप्टो मुद्रा जैसे विभिन्न चैनलों के माध्यम से भारत के बाहर भेजी गई।

ईडी की जांच से पता चला कि आरोपियों ने भारत में कई शैल इकाइयां शुरू की और उनका इस्तेमाल सिंगापुर में बनी शैल कंपनियों को अपराध से अर्जित आय (पीओसी) भेजने के लिए किया। ये सिंगापुर शैल इकाइयां भारत में शैल भारतीय इकाइयों के नाम पर सॉफ्टवेयर/अन्य सेवाओं की आपूर्ति के लिए नकली चालान जारी करती थीं, जहां अपराध से अर्जित आय (पीओसी) पहले ही एकत्रित की जा चुकी होती थी। ये चालान मैसर्स एनआईयूएम सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड (सिंगापुर) नामक वैश्विक विदेशी मुद्रा निपटान मंच द्वारा साझा किए जाते हैं, जिसकी भारतीय सहायक कंपनी एनआईयूएम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, जो नकली चालान के आधार पर भारतीय संस्थाओं से धन एकत्र करती है और तकनीकी सेवाओं हेतु भुगतान के नाम पर उसे बाहरी प्रेषण (रेमिटेनसेस) के रूप में मैसर्स एनआईयूएम सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरित करती है और ऐसे फंडों को सिंगापुर शैल संस्थाओं के वर्चुअल वॉलेट में जमा किया जाता है। फर्जी चालान के अलावा, एनआईयूएम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रेषकों से कोई अन्य दस्तावेज एकत्र नहीं किए जाते थे। इस तरीके से, शैल रेमिटर, शैल रेमिटी और नकली आयात लेनदेन को बैंक और निगरानी एजेंसियों से छुपाया जाता था और अपराध की आय को भारत से बाहर कर दिया जाता था।

तलाशी अभियान के दौरान, सिंगापुर की शैल संस्थाओं से संबंधित और उनकी ओर से एनआईयूएम इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के बैंक खातों में जमा किए गए अपराध की आय से अर्जित होने वाले संदिग्ध 123 करोड़ रुपए (लगभग) को फ्रीज़ कर लिया गया है। तलाशी अभियान के परिणामस्वरूप कई डिजिटल डिवाइसें , विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज़, शोधन हेतु उपयोग किए जाने वाले कई बैंक खाते और आरोपी व्यक्ति और संस्थाओं की विभिन्न चल और अचल संपत्तियों के विवरण भी बरामद और जब्त किए गए।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।